न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)
पीठासीन अधिकारी श्री संदीप चौधरी (आर.ए.एस.)

मु.न.–.......25......./2024
1. राजू पारीक पुत्र अर्जुनराम जाति पारीक निवासी भालेरी तहसील तारानगर जिला चूरू।

– प्रार्थी –

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) तारानगर।

– अप्रार्थी –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट आर.टी.एक्ट.

दिनांक 24/01/24

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय शपथ पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी के पिता के नाम कृषि भूमि रोही भालेरी तहसील तारानगर के खसरा सं 847/154 तादादी 03.8441 हैक्टेयर हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम व पिता का नाम राजकुमार पुत्र अर्जुनलाल अंकित है। जो गलत है, जबकि प्रार्थी का नाम व पिता का नाम राजू पारीक पुत्र अर्जुनराम पारीक सही हैं। प्रार्थी के पिता के आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम व पिता का नाम राजू पारीक पुत्र अर्जुनराम पारीक है। नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थी को कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब प्रार्थी जमाबन्दी में अपना पिता का नाम दुरूस्त करवाना चाहता है। जमाबन्दी में अपना पिता का नाम दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थी ने तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। परन्तु तहसीलदार ने बिना किसी न्यायालय के आदेश के नाम दुरूस्त करने से इंकार कर दिया। इसलिए श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना प्रत्र पेश कर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कृषि भूमि रोही भालेरी तहसील तारानगर के खसरा सं 847/154 तादादी 03.8441 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम व पिता का नाम राजू पारीक पुत्र अर्जुनराम पारीक किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र में आई पूर्व में प्राप्त रिपोर्ट पटवार हल्का भालेरी के अनुसार प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना व पिता का नाम दुरूस्त करवाना चाहता है। अब प्रार्थी अपने पिता के आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड, शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का नाम व पिता का नाम राजकुमार पुत्र अर्जुनलाल की जगह राजू पारीक पुत्र अर्जुनराम पारीक करवाना चाहता है। आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का राजकुमार पुत्र अर्जुनलाल ही दर्ज है। अतः प्रार्थी का राजकुमार पुत्र अर्जुनलाल की जगह राजू पारीक पुत्र अर्जुनराम पारीक किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना उचित होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया पटवार हल्का भालेरी की रिपोर्ट प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की पुष्टि होती है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही भालेरी तहसील तारानगर खसरा सं 847/154 तादादी 03.8441 हैक्टेयर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टि प्रार्थी **राजकुमार पुत्र अर्जुनलाल** के स्थान पर **राजू पारीक पुत्र अर्जुनराम पारीक** अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। इस विचार न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय निर्णय है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/01/24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सन्दीप चौधरी आर.ए.एस.)
पीठासीन अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)